www.jagran.com
[illegible]-291/15-17
वर्ष - 79
अंक - 138
पृष्ठ - 20
मूल्य - 5 रुपये
झाँसी. शुक्रवार 1 जनवरी, 2021
नगर संस्करण
खुश है जमाना, आज पहली तारीख है
दैनिक जागरण
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

किसानों के लिये हितकारी है नया कृषि बिल : डॉ. अरुणाचलम

डॉ. ए. अरुणाचलम

झाँसी : केन्द्रीय कृषि वानिकी अनुसन्धान के निदेशक डॉ. ए. अरुणाचलम ने नए कृषि बिल-2020 पर किसानों में फैलाई जा रही भ्रान्तियों को दूर करने के लिये उसके फायदे बताये। उन्होंने बताया कि कृषि [illegible]पार के नये कानून से किसान के खेत [illegible] अन्य स्टोर व खाद्य प्रसंस्करण के हब के रूप में विकसित होंगे। इससे किसानों की उन्नति के द्वार खुलेंगे व उनकी आय बढ़ेगी। इस बदलाव के जरिये किसानों को उपज की बिक्री से सम्बन्धित आज़ादी मिलेगी व दाम भी अच्छे भारत सरकार ने भी किसानों को समृद्ध बनाने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी जारी रहेगा।

खेती की नई तकनीकी का मिलेगा फायदा : डॉ. विजय

[illegible] परिषद भारतीय चरागाह [illegible] संस्थान में ललितपुर से आये लगभग 200 किसानों के समूह को संस्थान निदेशक डॉ. विजय कुमार ने सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्यों की कृषि उत्पादन विपणन समिति यानी, ऐग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटि (एपीएमसी) के अधिकार बरकरार रहेंगे। इसलिये किसानों के पास सरकारी एजेन्सियों के विकल्प खुले रहेंगे। वर्तमान में किसानों से विभिन्न उपज पर 1 से 10 फीसदी तक बाजार शुल्क लगता था, लेकिन अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। अनुबन्ध खेती से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा तथा खेती की नई तकनीकी का फायदा मिलेगा।

कानपुर, शुक्रवार 1 जनवरी, 2021
** आज संस्करण पृष्ठ 12 मूल्य 2 रुपया
हिन्दी जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय
वाराणसी । गोरखपुर । प्रयागराज
कानपुर (झांसी) । लखनऊ
आगरा । बरेली । पटना
रांची (धनबाद संस्करण) जमशेदपुर
online Edition
www.ajhindidaily.in
आज
101

तापमान
अधिकतम 16.4 डि.से.
न्यूनतम 3.4 डि.से.
आर्द्रता- 93-52%

7 ऋतिक रोशन
कृष-4 में निभायेंगे ट्रिपल रोल

नया कृषि बिल-2020 किसानों के लिए लाभकारी एवं आय में बढ़ोत्तरी:डॉ. अरूणाचलम

(आज समाचार सेवा)

झांसी, 31 दिसम्बर। केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी के निदेशक डा. ए. अरूणाचलम ने नये कृषि सुधार बिल-2020 पर किसानों में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए नये कृषि सुधार बिल-2020 के फायदे के बारे में जानकारी दी कि कृषि सुधार के नये कानूनों से किसान के खेत अब अन्न स्टोर व खाद्य प्रसंस्करण के हब के रूप में विकसित होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नये कृषि बिल किसानों की स्थिति को सुधारने और आय बढ़ोत्तरी में क्रान्तिकारी परिवर्तन साबित होंगे। डा. अरूणाचलम का कहना है कि इस बदलाव के जरिये किसानों को उपज की बिक्री से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे दाम भी बेहतर मिलेंगे। भारत सरकार ने जैसा आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) जारी रहेगा। इस बिल के तहत किसान को यह स्वतंत्रता है कि वे अपना कृषि उत्पाद सरकारी मण्डी में बेचें या मण्डी के बाहर, जहाँ उनको अपना

कृषि उत्पाद का मूल्य अधिक मिल सके। इस बिल के माध्यम से मण्डी/बाजार तथा किसान के बीच की दूरी कम हो जायेगी। इसके अलावा कस्बों या शहरों में बाजार एवं कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता होगी जिससे सब्जियाँ एवं अन्य उत्पाद बर्बाद नहीं होगा तथा किसानों को अधिक आमदनी और लाभ प्राप्त होगा। माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में ढाँचागत सुविधायें एवं अन्य सुविधायें देश भर में विकसित की जा रही हैं, जिससे इस बिल के माध्यम से किसानों को फायदा मिलने जा रहा है। विश्व में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो कि 130 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु आत्मनिर्भर है। जिससे विश्व के अन्य विकसित देश भारत को एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जब इस तरह के बदलाव किसी भी क्षेत्र में होते हैं तो लोग असहज महसूस करते हैं लेकिन बाद में इसके फायदे मिलने लगते हैं और इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला है। अतः नया कृषि बिल केवल और केवल किसानों के फायदे के लिए ही बनाया गया है।

एक सांध्य प्रकाशित • झांसी • शुक्रवार, 01 जनवरी 2021, पौष कृष्णपक्ष 2 • संवत् 2077 • युगाब्द 5122 • वर्ष : 22 • अंक : 181 • मूल्य 3.

स्वदेश

नया कृषि बिल-2020 किसानों के लिए लाभकारी एवं आय में बढ़ोत्तरी -डॉ. अरूणाचलम

झांसी। केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झांसी के निदेशक डा. ए. अरूणाचलम ने नये कृषि सुधार बिल-2020 पर किसानों में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए नये कृषि सुधार बिल-2020 के फायदे के बारे में जानकारी दी कि कृषि सुधार के नये कानूनों से किसान के खेत अब अन्न स्टोर व खाद्य प्रसंस्करण के हब के रूप में विकसित होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नये कृषि बिल किसानों की स्थिति को सुधारने और आय बढ़ोत्तरी में क्रान्तिकारी परिवर्तन साबित होंगे। डा. अरूणाचलम का कहना है कि इस बदलाव के जरिये किसानों को उपज की बिक्री से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे दाम भी बेहतर मिलेंगे। भारत सरकार ने जैसा आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस.पी) जारी रहेगा। इस बिल के तहत किसान को यह स्वतंत्रता है कि वे अपना कृषि उत्पाद सरकारी मण्डी में बेचें या मण्डी के बाहर, जहाँ उनको अपना कृषि उत्पाद का मूल्य अधिक मिल सके। इस बिल के माध्यम से मण्डी/बाजार तथा किसान के बीच की दूरी कम हो जायेगी। इसके अलावा कस्बों या शहरों में बाजार एवं कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता होगी जिससे सब्जियाँ एवं अन्य उत्पाद बर्बाद नहीं होगा तथा किसानों को अधिक आमदनी और लाभ प्राप्त होगा। प्रधान मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में ढाँचागत सुविधायें एवं अन्य सुविधायें देश भर में विकसित की जा रही है, जिससे इस बिल के माध्यम से किसानों को फायदा मिलने जा रहा है। विश्व में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो कि 130 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु आत्मनिर्भर है जिससे विश्व के अन्य विकसित देश भारत को एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जब इस तरह के बदलाव किसी भी क्षेत्र में होते हैं तो लोग असहज महसूस करते हैं लेकिन बाद में इसके फायदे मिलने लगते है और इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला है अतः नया कृषि बिल केवल और केवल किसानों के फायदे के लिए ही बनाया गया है।

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
www.livehindustan.com
शुक्रवार, 01 जनवरी, 2021, कानपुर, पांच प्रदेश, 21 संस्करण

निदेशक ने गिनाए कृषि सुधार बिल के फायदे

दी जानकारी

झांसी | निज संवाददाता

केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. ए अरुणाचलम ने कृषि सुधार बिल-2020 को किसानों की स्थिति सुधारने व आय बढ़ोतरी में क्रांतिकारी परिवर्तन बताया। दावा किया है, नया विधेयक केवल और केवल किसानों के फायदे को ही बनाया गया है।

नये कृषि सुधार बिल के फायदे गिनाते हुए बताया कि नए कानूनों से किसान के खेत अब अन्न स्टोर व खाद्य प्रसंस्करण के हब के रूप में विकसित होंगे। इस बदलाव के जरिये किसानों को उपज की बिक्री से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे दाम भी बेहतर मिलेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जारी रहेगा। इस बिल के तहत किसानों को यह स्वतंत्रता है, कि वे अपना कृषि उत्पाद सरकारी मंडी में बेचें या बाहर। जहां उनको अपने कृषि उत्पाद का मूल्य अधिक मिल सके। इस बिल के माध्यम से मण्डी/बाजार तथा किसान के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इसके अलावा कस्बों या शहरों में बाजार एवं कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता होगी। जिससे सब्जियां एवं अन्य उत्पाद बर्बाद नहीं होगा तथा किसानों को अधिक आमदनी

केंद्रीय कृषिवानकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ ए अरुणाचलम। • हिन्दुस्तान

और लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएं देश भर में विकसित की जा रही है। जिससे इस बिल के माध्यम से किसानों को फायदा मिलने जा रहा है। विश्व में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो कि 130 करोड़ आबादी को खाद्य सुरक्षा हेतु आत्मनिर्भर है। जिससे विश्व के अन्य विकसित देश भारत को एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे है। यह भी समझना होगा कि जब इस तरह के बदलाव किसी भी क्षेत्र में होते है तो लोग असहज महसूस करते है, लेकिन बाद में इसके फायदे मिलने लगते है और इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होते है। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला है।